न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :– राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

दायर दिनांकः 01.07.2025

प्रकरण संख्याः 104/25
जीसीएमएस नं. 2025/296

उनवान

1 रामचरन पुत्र मुकंदी जाति खाती निवासी सैंधली तह. भुसावर जिला भरतपुर राज. (मृतक)। 1/1 जयप्रकाश 1/2 अनिल पुत्रान रामचरन जाति जांगिड निवासी सैंधली तहसील भुसावर 1/3 ममता पुत्री रामचरन पत्नी दिगम्बर 1/4 मौनू पुत्री रामचरन पत्नी भरतलाल जातियान जांगिड निवासीयान नगला पीतू तहसील रूपवास जिला भरतपुर 1/5 मीनू पुत्री रामचरन पत्नी राजेश 1/6 सोनू पुत्री रामचरन पत्नी मुकेश जातियान जांगिड निवासीयान प्लॉट नं. 02 विवेक विहार विजयपुरा जयपुर।

––वादीगण

बनाम

1 जगदीश पुत्र सामरे 2 नर्वदा 3 लीला 4 शारदा पुत्रियान सामरे जातियान खाती निवासी सैंधली तह. भुसावर 5 राज. सरकार जरिये तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर राज.।

––प्रतिवादीगण

दावा विभाजन व हुक्म इम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.ए. 1955

अधिवक्ता :–
1 श्री सुरेन्द्र चौधरी ––वादीगण
2 श्री चन्द्रशेखर तिवारी ––प्रति.

<u>निर्णय दिनांक 29.05.2026</u>

वादी वकील द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 1316 रकवा 0.2800, 1317 रकवा 0.2400, 1318 रकवा 0.4400, 1319 रकवा 0.4500, 1320 रकवा 0.7600, 1321 रकवा 1.0000, 1327 रकवा 0.5300 किता 7 कुल रकवा 3.7000 हैक्टेयर वाके ग्राम भुसावर द्वितीय तहसील भुसावर जिला भरतपुर राज० में स्थित है। जिसमे वादी 1/2 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 प्रत्येक 1/8 1/8 हिस्से के खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी है तथा इसी प्रकार काश्त करते हुए राज्य सरकार को लगान अदा करते चले आ रहे हैं।

उक्त वर्णित आराजी वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक लगायत 4 की संयुक्त खातेदारी की आराजी है जिसका विभाजन अभी तक खातेदारान के मध्य कानूनी रूप से बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड नहीं हुआ है। परन्तु वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक लगायत 4 अपने हिस्से अनुसार बाहमी मनवट के आधार पर आराजी को जोतते बोते चले आ रहे हैं। प्रतिवादी संख्या एक लगायत 4 ताकतवर एवं बेईमान किस्म के व्यक्ति होने की वजह से वादी को उसके हिस्से की आराजी का पूरा–पूरा लाभ प्राप्त नहीं होने देते हैं तथा विभाजन के बिना ही उक्त आराजी पर न्यारान्यूर निर्माण कर वादी को उक्त आराजी से वंचित करना चाहते हैं। जबकि प्रतिवादीगण को आराजी को बिना विभाजन कराये निर्माण कार्य करने व किसी दीगर व्यक्ति को रहन, वय व मुन्तकिल करने का कोई भी कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है।

दिनांक 20.06.2025 को वादी ने प्रतिवादी संख्या एक लगायत 4 से वादग्रस्त आराजी का कानूनी विभाजन कराने के लिए कहा, तो प्रतिवादी संख्या एक लगायत 4 ने विभाजन से इंकारी करते हुए खुले आम धमकी दी है कि हम तो अच्छी–अच्छी व आबादी के सहारे लगी मौके की आराजी खसरा नम्बर 1316 1317 व 1327 जो कि सडक के सहारे लगी हुई है जिस पर कच्चा, पक्का पुख्ता निर्माण कर लेगें व अपने

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०

कब्जे में लेकर किसी दीगर व्यक्ति को रहन, वय व मुन्तकिल करते हुए कब्जा देकर तुम्हें अच्छी व मौके की आराजी से बेदखल कर महरूम कर देगें एवं तुम्हें तुम्हारे हिस्से की आराजी का उपयोग व उपभोग भी नहीं करने देगें। अतः वादी, प्रतिवादीगण के मध्य आराजी का कानूनी विभाजन करा पाने का अधिकारी है।

वादी द्वारा निवेदन किया गया है कि विवादित आराजी का कानूनी विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द फरमाया जावे।

हमने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक से कराई गई। नोटिस की ताईद में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 की ओर से वकालतनामा एवं जवाब श्री चन्द्रशेखर तिवारी एड. द्वारा पेश किया गया।

हमने बहस पर उभयपक्ष अधिवक्तागण को सुना गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का भली भांति अवलोकन किया गया।

अतः दावा वादी प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर कुरेजात रिपोर्ट हेतु तहसीलदार, भुसावर को लिखा गया। लेकिन दिनांक 13.02.2026 को प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 स्वीकार होने पर पुनः संशोधित प्रारंभिक डिक्री किया गया और कुरेजात रिपोर्ट हेतु तहसीलदार, भुसावर को लिखा गया। जिसकी पालना में तहसीलदार, भुसावर द्वारा अपने पत्रांक/एल.आर./2026/2442 दिनांक 27.05.2026 द्वारा विभाजन प्रस्ताव भिजवाया गया।

हमने बहस पर उभयपक्ष अधिवक्तागण को सुना गया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड तथा विभाजन प्रस्ताव का भली भांति अध्ययन किया गया। उक्त के आधार पर हम दावा वादी डिक्री किया जाना उचित पाते है।

अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भुसावर को आदेशित किया जाता है कि आपके द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव के पत्रांक/एल.आर./2026/2442 दिनांक 27.05.2026 अनुसार उभयपक्षकारान के मध्य खातेदारी की जावे तथा नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जावे। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०